(वाद संख्या–5158/17)

21.10.2019

परिवादी, देवेन्द्र दास की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता, श्री लक्ष्मण झा, उपस्थित हैं।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

प्रस्तुत मामला भा0द0स0 की धाराओं 147/148/149 /323/324/307/302/448/380/427 व 504 से संबंधित मधुबनी जिलातंर्गत फुलपरास थाना कांड संख्या 145/17, दिनांक 29.05.2017 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा उपरोक्त कांड के सूचक देवेन्द्र दास व उसके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा हेतु लाया गया है।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उपरोक्त कांड के दस प्राथमिकी अभियुक्तों में से पुलिस द्वारा अनुसंधानोपरान्त मात्र तीन नामांकित अभियुक्तों, 1. दिलीप दास, 2. पलट दास, 3. मिश्री लाल दास के विरूद्ध आरोप–पत्र संख्या 226/17, दिनांक 07.10.2017 समर्पित किया गया है तथा शेष अभियुक्तों के विरूद्ध वर्तमान में अन्वेषण जारी है।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि फुलपरास थाना कांड संख्या 145/17 वर्तमान में विचारण हेतु झंझारपुर स्थित व्यवहार न्यायालय में लंबित है तथा उपरोक्त कांड के प्राथमिकी अभियुक्तों द्वारा परिवादी व उसके परिवार वालों को जबरदस्ती सुलहनामा दाखिल करने या उनके पक्ष में साक्ष्य देने हेतु धमकाया जा रहा है।

आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी यथाशीघ्र प्रसंगाधीन मामले में अन्वेषण समाप्त कर न्यायालय में आरोप–पत्र/अंतिम प्रपत्र दाखिल करने का प्रयास करें तथा प्रसंगाधीन कांड के सूचक, देवेन्द्र दास पुत्र पूरन दास, ग्राम– भरहर शिवदाहा, थाना फुलपरास, जिला मधुबनी तथा उसके परिवार की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करें ताकि प्रसंगाधीन कांड में न्याय मिल सके।

उपरोक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को भेज दी जाय एवं उक्त से परिवादी को भी अवगत करा दिया जाय।

(उज्ज्वल कमार दुबे
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक